संघ लोक सेवा आयोग
(बै. एवं अनु. अनुभाग)
शाहजहां रोड, धौलपुर हाऊस,
नई दिल्ली -110069

ई-निविदा सं. एफ. सं. 5.2(5)/ 2016- बै. एवं अनु.

ई- निविदा नोटिस

विषय: संघ लोक सेवा आयोग में तीन वर्षों की अवधि के लिए कृदन्तक एवं पीड़कनाशी नियंत्रण के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा ।

****

अनुबंध- क पर संलग्नक सूची के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग में कृदन्तक एवं पीड़कनाशी नियंत्रण के वार्षिक अनुरक्षण संविदा हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है । संघ लोक सेवा आयोग में कृदन्तक एवं पीड़ानाशी नियंत्रण के लिए वा. अनु. सं. पर अनुमानित वार्षिक व्यय लगभग 2 लाख रू. है

2. निविदा दस्तावेज़ दिनांक 29-09-2016 से 21-10-2016 तक (3.00 बजे अपराह्न तक) केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल (सीपीपीपी) http://eprocure.gov,in के वेबसाइट से डाऊन लोड की जा सकती है ।

3. इच्छुक बोलीदाता निर्धारित प्रपत्र में दो बोली प्रणाली में निविदा को ऑनलाइन http://eprocure.gov,in पर प्रस्तुत कर सकते है । निविदा केवल ऑनलाइन तरीके से ई-प्रपण पोर्टल http://eprocure.gov,in के माध्यम से भेजी जानी है । पात्रता मानदंड आदि के समर्थन में सभी दस्तावेज़ों को स्कैन किया जाना है और निविदा दस्तावेज़ों के साथ अपलोड किया जाना है । ऑनलाइन तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से भेजे गए निविदा को स्वीकार नहीं किया जाएगा । किसी भी परिस्थिति में चाहे जो भी हो के उददेश्य के लिए निर्धारित तारीख तथा समय की समाप्ति के बाद किसी निविदा दस्तावेज़ को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. संघ लोक सेवा आयोग में कृदन्तक एवं पीड़कनाशी के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा (वा. अनु. सं.) की सामान्य निबंधन एवं शर्तें अनुबंध- ख में दी गई है । भावी बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि कि वे सीपीपीपी पर http://eprocure.gov,in के माध्यम से बोली के

ऑनलाइन ई-प्रस्तुतीकरण के लिए "संविदाकर्ता / निविदाकर्ता को अनुदेश" में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करें ।

5. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में देय अदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के रूप में 30,000 /-रू. (तीस हजार रूपए मात्र) की मूल जमा राशि जिसे वस्तुतः सीलबंद लिफाफे में डालकर और जिस पर विधिवत रूप से मोटे अक्षरों में "कृदन्तक एवं पीड़ानाशी नियंत्रण के लिए नि.आ.सू. 2016-19" लिखा हो, जिसे अवर सचिव (बै.एवं अनु.) संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली को संबोधित करते हुए दिनांक 21-10-2016 तक 9.30 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न के बीच संघ लोक सेवा आयोग के स्वागत कक्ष (गेट सं. 2) के नजदीक रखे गए निविदा बाक्स में ही डालें । यदि मूल जमा धरोहर राशि उपर्युक्त तारीख तथा समय के दौरान प्रस्तुत नहीं की जाती हैं तो बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा । तथापि, बैंक ड्राफ्ट की स्कैंड प्रति http://eprocure.gov,in पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपलोड अवशय की जानी चाहिए । निर्धारित तारीख तथा समय के बाद प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही ऐसी बोलियों के संबंध में कोई पत्राचार पर विचार किया जाएगा । यदि किसी बोलीदाता को या तो एन एस आई सी या किसी अन्य सरकरी अभिकरण से जमा धरोहर राशि को संलग्न करने से छूट प्राप्त है तो ऐसे छूट प्रमाण पत्र की स्कैंड प्रति को http://eprocure.gov,in पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपलोड करनी होगी । यदि बोली ज.धरो.रा. / ज.धरो.रा. छूट प्रमाणपत्र के बिना प्राप्त होती है तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

6. बोलियां 21-10-2016 को 3.30 बजे अपराह्न में कमरा सं. 101, आयोग सचिवालय भवन, नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग में 3 अधिकारियों की समिति द्वारा ऑनलाइन खोली जाएगी । यदि बोली के प्रस्तुतीकरण की निर्धारित तारीख या अनुवर्ती तारीख को इस कार्यालय के लिए घोषित छुट्टी या कार्यालय बंदी का दिन होता है तो बोली इस कार्यालय के अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय अर्थात 3.00 बजे अपराह्न तक प्राप्त की जाएगी और उसी दिन 3.30 बजे अपराह्न को खोली जाएगी । बोलियों के मूल्यांकन के बाद निविदा मूल्यांकन समिति (नि.मू.स.) जो अपनी विशिष्ट अनुसंशा (अनुशंसाएं) देगा जिसे अपलोड किया जाएगा और इसे बोलीदाताओं द्वारा देखा जा सकता है ।

7. संघ लोक सेवा आयोग के सक्षम प्राधिकारी कोई बिना कारण बताए किसी भी समय निविदा को निरस्त करने या निविदा दस्तावेज़ में शामिल किसी भी निबंधन एवं शर्तों में संशोधन / वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

(अनिल कुमार)

अवर सचिव (बै.एवं अनु.)

प्रतिलिपि अगेषित :-

1. सं. लो. से. आ. के पंजीकृत बोलीदाता / निविदाकर्ता को परिचालित करने के लिए ।
2. निदेशक,एन आई सी को इस अनुरोध के साथ कि ई- निविदा सूचना को सरकारी ई-प्रापण पोर्टल पर डाल दें ।
3. नोटिस बोर्ड ।
4. गार्ड फाइल ।

अनुबंध- क

ई निविदा सं. एफ. सं. 5.2(5)2016-बै.एवं अनु.

सं. लो. से. आ. के निम्नलिखित कार्यालयों / भवनों में कृदन्तक एवं पीड़कनाशी नियंत्रण उपचार निष्पादित किये जाने है।

1. मुख्य भवन
2. आयोग सचिवालय भवन
3. एनेक्सी भवन
4. सलाहकार कक्ष (पुराना तथा नया अतिथि गृह)
5. परीक्षा हॉल भवन
6. संग्राहलय
7. सुविधा / डाक काउन्टर
8. अभिलेख कक्ष - जामनगर हाउस
9. दस्तावेजीकरण केंद्र - जामनगर हाउस
10. खुला क्षेत्र - पुराना कैंटीन, हिंदी प्रशिक्षण केंद्र, खत्ता (रद्दी कागज तथा कें. लो. नि. वि. के लिए), विधुत गृह, कनिष्ठ इंजीनियर कें. लो. नि. वि. का कार्यालय, पम्प हाउस, सी. आई. एस. एफ. कोथ, सी. आई. एस. एफ. मुख्य द्वार, मोर्चा, गेट सी तथा चेक पोस्ट, कैंटीन क्षेत्र
11. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य क्षेत्र

अनुबंध- ख

तीन वर्ष की अवधि के लिए संघ लोक सेवा आयोग में कृदन्तक एवं पीड़कनाशी नियंत्रण के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा (बा. अनु. सं.) प्रदान करने के लिए सामान्य निबंधन एवं शर्ते

ई- निविदा का प्रस्तुतीकरण

बोलियां दो भागों अर्थात तकनीकी बोली तथा वित्तीय बोली में प्रस्तुत की जानी चाहिए। अपलोड किए किए जाने से पहले दस्तावेजों की विषयवस्तु की प्रकृति से असंबंद्ध रहते हुए बोलीदाता द्वारा बोली को प्रस्तुत करते समय उनके सभी पृष्टों पर हस्ताक्षर तथा उसपर क्रमिक संख्या दी जानी चाहिए।

भाग- 1 तकनीकी बोली (पात्रता मानदंड)

अनुबंध- I तथा अनुबंध- II में दिए गए तकनीकी बोली जो विधिवत भरा हुआ तथा सभी तरह से पूर्ण हो को फर्म / एजेन्सी अपलोड करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे।

1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में देय अदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट / बैंक चेक के रूप में 30,000/- रुपए (तीस हजार रूपए मात्र) की जमा धरोहर राशि (जमा धरोहर राशि) की स्कैन्ड प्रति।

2. फर्म के पास सरकारी विभागों / मंत्रालय / होटलो (3 स्टार एवं उससे उपर) / सरकारी अतिथि गृहो जिसमें 30 से अधिक बेड हो / सरकारी अस्पतालों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यलयों में 3 तीन वर्ष या उससे अधिक कार्य करने का लगातार अनुभव होना चाहिए।

3. फर्म के पास पैन सं. सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र होने चाहिए।

4. फर्म के पास वाणिज्यिक पीड़कनाशी नियंत्रण प्रचालन क्रियाकलापों के लिए अनुमेय पीड़कनाशकों के स्टाक एवं प्रयोग के लिए वैध लाईसेन्स होना चाहिए।

5. फर्म को विगत तीन वर्षों का आयकर विवरणी जो चार्टरित लेखाकार से विधिवत प्रमाणित हो की स्कैन्ड प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

6.फर्म को वर्ष 2015-16 सहित विगत तीन वर्षों की लोखा परीक्षा की गई तुलन पत्र तथा लाभा एवं हानि खाता विवरणी जो चार्टरहित लेखाकार से विधिवत प्रमाणित हो, की स्कैन्ड प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

7. निविदाकर्ता द्वारा सामान्य निबंधन एवं शर्तो सहित निविदा नोटिस तथा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्टों पर हस्ताक्षर करने होंगे और उक्त की अक्षरतः स्वीकृत के प्रमाण के रूप में अनुबंध – II में रबड़ की मुहर लगानी होगी।

8. फर्म को किसी सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है और एजेन्सी / फर्म या इसके मालिक / साझेदार के विरूद्ध भारत में किसी भी स्थान पर कोई आपराधिक मामला पंजीकृत नहीं है।

<u>टिप्पणीः-</u> उपर्युक्त मद सं. 1 से 7 के लिए ई- निविदा दस्तावेज को अंतिम रूप में प्रस्तुत करने से पहले अनुबंध –I में यथासूचीबद्ध सद्दश्य दस्तावेज की प्रतियों को आवश्यक रूप से बोलीदाता को अपलोड करने होंगे।

भाग- II – वित्तीय बोली

9. फर्म / एजेन्सी को अनुबंध-III दिए गए वित्तीय बोली को अपलोड करना होगा।

10. वित्तीय बोली में नि.आ.सू. में यथावर्णित कृदन्तक तथा पीड़कनाशी सेवाओं को निष्पादित करने के लिए समग्र दरें शामिल है। उद्धत दरों में सं. लो. से. आ. परिसर में कृदन्तक एवं पीड़कनाशी उपचार के लिए आवश्यक सभी पीड़कनाशी तकनीकी / यांत्रिक उपकरण अर्थात चूहे के पिंजरे, ग्लू पैड, जैल तथा संबंधित श्रमिक, ढुलाई प्रभार आदि की लागत शामिल है। बोली पर फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता या मालिक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

11. सफल बोलीदाताओं की वित्तीय बोली को अनुवर्ती तारीख में खोली जाएगी जिनकी बोलियों को तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी रूप से विचार करने के पश्चात स्वीकार किया गया हो।

12. वैट / एस टी / सेवा कर की दर यदि कोई हो, को अलग से उद्धृत किया जाए । अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि फर्म द्वारा उद्धृत दरों में एस टी / वैट / सेवा कर / सरकारी लेवियां शामिल हैं और भेजी गई कोटेशन की बढ़ोतरी में एस टी / वैट / सेवा कर की दर को शामिल करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

कार्य क्षेत्र

13. पीड़कनाशी नियंत्रण के काम में सामान्य पीड़कनाशी नियंत्रण/दीमक रोधी कार्य शामिल है जिसका अर्थ कॉकरोच, मच्छरों, पतंगों, छिपकली, दीमक आदि का उन्मूलन करना है। इस संविदा के अंतर्गत सेवाओं में परिसर के अंदर एवं बाहर चूहों की समस्या से निपटना तथा महत्वपूर्ण फाइलों, कागजातों, पेपर बॉक्स, कारपेट वैद्युत एवं टेलीफोन की तारों, टेलीफोन एक्सचेंज, वुडन सीलिंग, पैनलिंग, कार्डबोर्ड, फाल्स सीलिंग की सुरक्षा, सभी सीढ़ियों, लिफ्ट लॉबी, पेन्ट्री रूम बेसमेंट, एसी यूनिट, एसी डक्ट, एसी प्लांट सभी भंडार गृहों और फर्नीचर के नीचे छिपे हुए स्थलों पर पीड़कनाशी नियंत्रण शामिल है और कोई भी स्थान छूटना नहीं चाहिए ।

14. यह उपचार मैकेनिकल ट्रैपिंग, चूहे के पिंजरे, ग्लू पैड और ग्लू पैड/बेल स्टिकर जब और जहां अपेक्षित हो, बदलकर एवं प्रतिस्थापित करके किया जाएगा ।

15. सभी प्रकार के रेंगने वाले कीड़ों के कीटनाशन सेवा एवं वेक्टर नियंत्रण सेवाओं द्वारा यथा मच्छर प्रजनन आदि पर नियंत्रण करना शामिल होगा ।

16. एजेंसी / फर्म / मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि एक बार किया गया पीड़कनाशी नियंत्रण अगली बार पीड़कनाशी नियंत्रण किए जाने तक प्रभावी रहना चाहिए और यह पुन: बिना किसी लागत के किया जाएगा ।

17. कीट-पतंगा रोधी, मच्छर एवं कॉकरोच रोधी / कृदन्तक एवं पीड़कनाशी नियंत्रण सेवाएं एक सप्ताह में कम से कम तीन बार नियमित आधार पर कार्यालय बंद होने से पहले अथवा बाद में और छुट्टियों या प्राय: पीड़कनाशी एवं कृदन्तकों आदि के नियंत्रण के लिए आवश्यक हों, प्रदान करनी होंगी ।

18. एजेन्सी / फर्म / मालिक / साझेदार अपेक्षित संख्या में तकनीकी विशेषज्ञ / तकनीशियन / तैनात करेंगे जो शिकायतों को एटेन्ड करने के विशिष्ट दिनों में कार्यालय के घंटों के दौरान आयोग के अनुरक्षण अनुभाग में उपलब्ध रहेंगे। एजेन्सी / फर्म / मालिक द्वारा तैनात किए गए तकनीकी विशेषज्ञ / तकनीशियन / स्टाफ को कृदन्तक एवं पीड़कनाशी नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने के लिए उनकेपास सभी प्रकार के यंत्र / कीटनाशी सामाग्री आदि होने चाहिए। आयोग में तैनात किए गए तकनीकी विशेषज्ञ केयरटेकर या इस उद्देश्य के लिए तैनात किए गए किसी अन्य अधिकारी के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे जो वरि. सं. प्र. एवं बै. अधि. को दैनिक आधार शिकायतों के अनुपालन रिपोर्ट देंगे।

19. एजेन्सी / फर्म या उसके मालिक / साझेदार को आयोग में तैनात किए गए सभी तकनीकी विशेषज्ञ / तकनीशियन स्टाफ के मोबाइस नं. को अग्रेषित करना होगा।

20. मालिक / साझेदार की छुट्टी के दिन में तकनीकी विशेषज्ञ / तकनीशियन स्टाफ को तैनात करने को भी कहा जा सकता है या आवश्यक समझे जाने वाले तात्कालिक कार्य, यदि कोई हो के लिए कार्य के घंटों के बाद भी रोका जा सकता है। आपातकालीन सेवाओं के लिए एजेन्सी / फर्म को कोई अतीरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

21. अनुरक्षण अनुभाग में एक शिकायत रजिस्टर का अनुरक्षण वरि. सं. प्र. एवं बै. अधि. / सं. प्र. एवं बै. अधि. द्वारा किया जाएगा। और वरि. सं. प्र. एवं बै. अधि. / सं. प्र. एवं बै. अधि. द्वारा यथा निर्देशित तकनीकी विशेषज्ञ / तकनीशियन तत्काल इन शिकायतों का विवारण करेंगे।

<u>सामान्य शर्ते</u>

22. सफल बोलीदाताओं को सं. लो. से. आ. काम्प्लेक्स तथा जामनगर हाउस में अवस्थित सं. लो. से. आ. के कार्यालय में कृदन्तक एवं पीड़कनाशी नियंत्रण के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा प्रदान की जाएगी।

23. संविदा दर, संविदा दर के अधिनिर्णय पत्र जारी किए जाने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के किसी भी अनुरोध पर विजार नहीं किया जाएगा।

24. कृदन्तक एवं पीड़कनाशी नियंत्रण उपचार में आयोग की संतुष्टि तक कुल एवं पूर्ण कृदन्तक एवं पीड़कनाशी मुक्त भवन / काम्प्लेक्स शामिल हैं।

25. निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में मालिक / साझेदार के असफल होने पर और कार्य को प्रचारित करने के किसी भी प्रयास को मालिक साझेदार की बोली पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

26. मालिक / साझेदार आयोग की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना कार्य या उसके भाग को किसी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर नहीं देगा।

27. आयोग बिना कोई कारण बताए एजेन्सी / फर्म / संविदाकर्ता की उनके ऐसा करने के इरादे के लिए एक कैलेण्डर माह का नोटिस देकर संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

28. सचिव, सं.लो.से.आ. को किसी भी निविदा / कोटेशन को पूर्ण रूप से या उनके भाग और अनावश्यक रूप से कम से कम या सभी कोटेशनों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। फर्म पर निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा ।

29. यदि फर्म/संविदाकर्ता का निष्पादन संतोषजनक पाया जाता है और सक्षम प्राधिकारी ऐसा करने को इच्छुक है तो वह उसी दर, निबंधन एवं शर्तों पर संविदा को 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

30. यदि बोली प्रस्तुत करने और उसकी स्वीकृति के बाद अर्थात आर्डर देने के बाद आपूर्तिकर्ता इन निविदा दस्तावेजों के निबंधन एवं शर्तों से बंधे रहने में विफल रहता है या दी गई सुपुर्दगी कार्यक्रम के अनुसार सामग्री की आपूर्ति में विफल रहता है या किसी भी समय संविदा से मुकर जाता है तो संघ लोक सेवा आयोग को जमा धरोहर राशि/ निष्पादन प्रतिभूति, यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा जमा की गई हो, को जब्त करने और आपूर्तिकर्ता के जोखिम और परिणाम पर सामग्रियों को अन्य एजेंसी से खरीदने का अधिकार होगा । ऐसी खरीद की लागत अन्य आकस्मिक प्रभारों जिसमें सीमाशुल्क, कर, भाड़ा और बीमा आदि शामिल हैं, सहित आपूर्तिकर्ता से वसूला जाएगा । संघ लोक सेवा आयोग को वैकल्पिक स्त्रोत के माध्यम से सामग्री खरीदने के लिए बाध्य होने पर और यदि खरीद मूल्य कम है तो इसका कोई लाभ चूककर्ता फर्म / मालिक / साझेदार को नहीं दिया जाएगा ।

31. यदि कंपनी का कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो सचिव, संघ लोक सेवा आयोग कोई भी कारण बताए बिना किसी भी समय संविदा की समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में भी आयोग को यह स्वतंत्रता होगी कि वह चूककर्ता फर्म के जोखिम तथा व्यय पर उक्त कार्य को किसी अन्य फर्म / कंपनी को सौंप दे।

दोनो स्थितियों मे, आयोग का निर्णय फर्म / मालिक / साझेदार पर अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

<u>जमा धरोहर राशि, जमा निष्पादन प्रतिभूति तथा भुगतान</u>

32. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में देय अदाता खाता डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक के रूप में 30,000 /-रू. (तीस हजार रूपए मात्र) की मूल जमा राशि जिसे वस्तुतः सीलबंद लिफाफे में डालकर और जिस पर विधिवत रूप से मोटे अक्षरों में “कृदन्तक एवं पीड़ानाशी नियंत्रण के लिए नि.आ.सू. 2016-19” लिखा हो, जिसे अवर सचिव (बै.एवं अनु.) संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली को संबोधित करते हुए दिनांक 21-10-2016 तक 9.30 बजे पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न के बीच संघ लोक सेवा आयोग के स्वागत कक्ष (गेट सं. 2) के नजदीक रखे गए <u>निविदा बाक्स में</u> ही डालें । <u>यदि मूल जमा धरोहर राशि उपर्युक्त तारीख तथा समय के दौरान प्रस्तुत नहीं की जाती हैं तो बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा । तथापि, बैंक ड्राफ्ट की स्कैंड प्रति http://eprocure.gov,in पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से अपलोड अवशय की जानी चाहिए ।</u> बोली को प्रस्तुत करने के बाद किसी भी बोलीदाता को आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि बोलीदाता संविदा प्रदान करने के पहले या बाद में संविदा को वापस लेता है तो उनकी जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

33. संविदा प्रदान करने तथा उनके विधिवत औपचारिकताओं के पूरे होने के पश्चात बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि उन्हें लौटा दी जाएगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

34. सफल एजेन्सी / फर्म या उसके मालिको को पंजीकरण स्थिति आदि से असंबद्ध रहते हुए सचिव संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में देय किसी वाणिज्यिक बैंक से मियादी जमा रसीद या डि. ड्रा. /बैंकर्स चेक के रुप में 80,000/- रू. (अस्सी हजार रूपये मात्र) की निष्पादन प्रतिभूति जमा संविदा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात लौटा दी जाएगी जो वा. अनु. सं. के निबंधन एवं शर्तों के पूरे होने तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णित किसी प्रकार की कटौती के अध्यधीन होगा।

35. निष्पादन प्रतिभूति एजेन्सी / फर्म या उसके मालिक के सभी संविदात्मक बाध्यताओं के पूरे होने की तारीख से परे साठ दिनों के लिए वैध रहेगी।

36. निष्पादन प्रतिभूति संविदा के सभी तरह से विधिवत निष्पादित तथा पूर्ण होने के पश्चात फर्म / मालिक / साझेदार को बिना किसी ब्याज के चाहे जो भी हो, लौटा दी जाएगी।

37. यदि फर्म संविदा के किसी भी निबंधन एवं शर्तो को निष्पादित करने में असफल रहती है तो इसे काली सूची में डालने के अलावा उनकी निष्पादन प्रतिभूति जब्त की जा सकती है।

38. कार्य के लिए भुगतान कार्य के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद आयोग द्वारा अनुमोदित एल-। दर के अनुसार बिल के तीन प्रतियों के प्रस्तुतीकरण पर वरि. सं. प्र. एवं बै. अधि. / संपदा पर्यवेक्षक / केयर टेकर के संतोषजनक प्रमाणपत्र की प्रस्तुति पर मासिक आधार पर किया जाएगा। कार्य के लिए भुगतान आर बी आई इलेक्ट्रानिक एन ई एफ टी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा जिसके लिए सफल फर्म / मालिक / साझेदार को अपने प्रथम बिल के प्रस्तुतीकरण के समय वास्तविक रूप में अस्वीकार किया हुआ अहस्ताक्षरित चेक की प्रति सहित आवश्यक अधिकार पत्र / सहमति अपने बैंकर के जरिए देनी होगी।

<u>शास्तियां, कटौतियां तथा अन्य शर्ते</u>

39. यदि यह पाया जाता है कि संविदा में यथानिर्धारित या एजेन्सी / फर्म या इसके मालिक को सौंपे गए अनुसार सेवाएं प्रदान नहीं की जाती है तब सं. लो. से. आ. को यह अधिकार होगा कि दिन (दिनों) जिनके लिए सेवाएं मुहैया नहीं कराई गई है के लिए फर्म के बिल से भुगतान की कटौती करें।

40. यदि महीने में दो बार असंतोषजनक निष्पादन नोटिस में आता है तो यह कार्यालय उस विशेष माह में कुल बिल की राशि से 5 प्रतिशत की कटौती करेगा।

41. यदि महीने में दो बार से अधिक पांच बार तक असंतोषजनक निष्पादन नोटिस में आता है तो यह कार्यालय उस विशेष माह में कुल बिल की राशि से 50 प्रतिशत की कटौती करेगा।

42. तथापि, यदि असंतोषजनक निष्पादन महीने में पांच बार से अधिक नोटिस में आता है तो यह कार्यालय उस विशेष माह में कुल बिल की राशि से 100 प्रतिशत की कटौती करेगा। ऐसी स्थिति में सक्षम

प्राधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह संविदा को समाप्त कर दे और संविदाकर्ता की निष्पादन प्रतिभूति को जब्त कर ले।

43. संविदाकर्ता की की सेवा की गुणवत्ता तथा अधिरोपित की जाने वाली शास्ति के संबंध में सचिव, सं. लो. से. आ. का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

44. बोली की प्रस्तुत करते समय, बोलीदाता को निविदा आमंत्रण सूचना दस्तावेज में वर्णित सभी निबंधन एवं शर्तों को पढा हुआ, समझा हुआ तथा स्वीकार किया गया माना जाएगा और कोई कोई परिवर्तन चाहे जो भी हो के लिए इच्छा व्यक्त किया गया है, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

45. फर्म / एजेन्सी / बोलीदाता को तीन वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष की दरे उद्धृत करनी चाहिए । प्रत्येक वर्ष के लिए मूल्य स्थिर रहेंगे । अलग-अलग वर्षों के लिए समान रूप से दरों की तुलना के लिए एन पी वी (निवल वर्तमान मूल्य) का 10% वार्षिक की डिस्काउंटिंग दर पर प्रयोग किया जाएगा ताकि दरों को समान स्तर पर लाया जा सके तथा तदनुसार एल-I निर्धारित की जाएगी ।

46. डिस्काउंटिंग की दर और एन पी वी परिकलन को निविदा दस्तावेज में निम्नानुसार पहले ही बता दिया गया है :-

एन पी वी – {वाई 1+ वाई 2/(1+0.1) + वाई 3/ $(1+0.1)^2$}

एन पी वी – निवल वर्तमान मूल्य

वाई 1 – प्रथम वर्ष के लिए उद्धृत दर

वाई 2 – द्वितीय वर्ष के लिए उद्धृत दर s

वाई 3 – तृतीय वर्ष के लिए उद्धृत दर

उदाहरण के लिए यदि प्रथम वर्ष (वाई 1) के उद्धृत दर 1000 है, दूसरे वर्ष (वाई 2) के लिए 1200 और तृतीय वर्ष (वाई 3) के लिए 1400 है तो एन पी वी निम्नानुसार होगा :-

$$1000+\frac{1200}{1.1}+\frac{1400}{1.21}$$

= 1000+1090.91 + 1157.02

= 3247.93

यह निविदा प्रदान करने के लिए एल-I निर्धारण करने हेतु मूल्य है । तथापि, एल-I बोलीदाता को उनके वर्षवार कोटेसन के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

47. निविदा का मूल्य तीन वर्ष के लिए लगभग 6 लाख रुपये है।

(अनिल कुमार)
अवर सचिव (सामान्य)
दूरभाष सं. 23382415

ई-निविदा सं. फा सं. 5.2(5)/2016-बै. एवं अनु.

सं. लो. से. आ. में कृदन्तक एवं पीड़कनाशी नियंत्रण के लिए ई-निविदा

अनुबंध – I

जांच सूची

(तकनीकी बोली का भाग होगा)

क्रम सं.	**ई-निविदा में अपलोड की गई दस्तावेज़ों का विवरण**	**हां / नहीं**	**पृष्ठ सं.**
1	क्या जमा धरोहर राशि की स्कैंड प्रति संलग्न है		
2	क्या बोलीदाता के पास सरकारी विभागों / मंत्रालयों / होटलों (3 स्टार एवं उससे ऊपर) / सरकारी अतिथि गृह जिसके पास 30 से अधिक बेड हैं / सरकारी अस्पताल / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कार्यालयों में तीन वर्ष या उससे कार्य करने का लगातार अनुभव की स्कैंड प्रति ।		
3	पैंन कार्ड, टिन सं. तथा सेवाकर पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा अद्यतन वैट निर्बाधन प्रमाण पत्र की स्कैंड प्रति।		
4	कीटनाशकों को स्टाक करने एवं उनके प्रयोग के लाइसेंस की स्कैंड प्रति ।		
5	वर्ष 2015-16 सहित विगत तीन वर्षों की आयकर विवरणी जो चार्टरहित लेखाकार से विधिवत प्रमाणित हो की स्कैंड प्रति।		
6	फर्म की वर्ष 2015-16 सहित विगत तीन वर्षों की लेखा परीक्षा की गई तुलन पत्र तथा लाभ एवं यूनिक खाता की स्कैंड प्रति।		
7	स्वीकृति प्रपत्र अर्थात अनुबंध –II जिसमें यह घोषित किया गया हो कि फर्म को उक्त् नि.आ.सु. की निबंधन एवं शत्रें स्वी्कार्य है जो विधिवत रूप से प्राधिकृत हस्ताक्षतकर्ता / मालिक द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा उस पर मोहर लगी हो, की स्कैंड प्रति।		

कंपनी की मुहर एवं तारीख सहित फर्म के
मालिक / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

<u>अनुबंध-II</u>

<u>ई-निविदा सं. फा सं. 5.2(5)/2016-बै. एवं अनु.</u>

<u>सं. लो. से. आ. में कृदन्तक एवं पीडकनाशी नियंत्रण के लिए ई-निविदा</u>

<u>प्रमाणपत्र</u>

(तकनीकी बोली का भाग होगा)

आपके दिनांक .... के नि.आ.सू. के प्रत्युत्तर में हमने ....(फर्म का नाम एवं पता) आपके विचारार्थ सं.लो.से.आ. में कृदन्तक एवं पीड़कनाशी नियंत्रण के लिए तकनीकी एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत की है । नि.आ.सू. के अंतर्गत यथा अपेक्षित जानकारी हम एतदद्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करते है :-

1. कि हमें निविदा आमंत्रण सूचना की सभी निबंधन एवं शर्ते स्वीकार्य हैं ।
2. कि मुझे / हमें तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय / धन को छिपाने के लिए दंडित / दोषी करार नहीं दिया गया है ।
3. कि हमने परिसर का दौरा किया और कार्य की क्षता को समझ लिया है तथा हमारी बोली पूर्णरूपेण कार्य क्षेत्र के अनुरूप है ।
4. कि फर्म को किसी सरकारी विभाग द्वारा न तो काली सूची में डाला गया है और न ही फर्म या इसके मालिक / साझेदार के विरूद्ध भारत में किसी भी स्थान पर आपराधिक मामला पंजीकृत / लंबित है ।
5. कि उद्धृत दरें विद्यमान बाजार मूल्य के अनुरूप है और उसी कार्य के लिए उद्धृत की गई दरें किसी भी अन्य मंत्रालय / सरकारी संगठनों से अधिक नहीं है ।

कंपनी की मुहर एवं तारीख सहित फर्म के
मालिक / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

अनुबंध-III

ई-निविदा सं. फा सं. 5.2(5)/2016-बै. एवं अनु.

सं. लो. से. आ. में कृदन्तक एवं पीड़कनाशी नियंत्रण के लिए ई-निविदा

(वित्तीय बोली)

विवरण	मासिक समेकित दर लागू सरकारी सहित, यदि कोई हो		
पूर्ण कृदन्तक एवं पीड़कनाशी नियंत्रण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष

कंपनी की मुहर एवं तारीख सहित फर्म के मालिक / प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर